छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00180

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री आनंद सिंघानिया

प्रोजेक्ट– अविनाश सन् सिटी, अंबुजा माल, दलदलसिवनी, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/11/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधानों के विपरीत रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, अंबुजा माल, दलदलसिवनी, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा प्रेषित बल्क एस.एम.एस. में रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का विज्ञापन किया गया है। अनावेदक ने कथन किया है कि उनके द्वारा उक्त एस.एम.एस. में सद्भाविक त्रुटिवश रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और प्राधिकरण की वेबसाईट का उल्लेख नहीं किया गया है। अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि के लिए क्षमा याचना करते हुए भविष्य में प्रसारित होने वाले एस.एम.एस. में उक्त दिशा–निर्देशों के पालन किये जाने का कथन किया है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रसारित किया था, वह प्रोजेक्ट पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है	6/11/18

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00180

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री आनंद सिंघानिया

प्रोजेक्ट– अविनाश सन् सिटी, अंबुजा माल, दलदलसिवनी, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	**आदेश अथवा कार्यवाही**	**पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**
	कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। – प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) **सदस्य** **भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण** **छत्तीसगढ़, रायपुर** (विवेक ढाँड) **अध्यक्ष** **भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण** **छत्तीसगढ़, रायपुर**	